## 245वें सत्र से संबंधित समापन भाषण

**श्री सभापतिः** इस महती सभा का इस वर्ष का पहला सत्र और दो भागों वाला महत्वपूर्ण बजट सत्र आज समाप्त हो रहा है। मुझे यह नोट करते हुए दुःख हो रहा है कि इस महत्वपूर्ण संसदीय संस्था के अधिदेश और इसके दायित्वों की पूर्ण अनदेखी और गंवाए गए समय के कारण यह सत्र ऐसा रहा जिसे आसानी से भुलाया जा सकता है।

जबकि इस दिन सभापति के लिए सभा द्वारा किये गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण देना पारंपरिक है, आज मैं इस बात पर विचार करने के लिए बाध्य हूँ कि एक ऐसे महत्वपूर्ण सत्र, जो कि लगभग तीस कार्यदिवस के साथ वर्ष का सबसे लम्बा सत्र है, के दौरान क्या नहीं किया जा सका। हमारी संसदीय संस्थाओं के कार्यकरण पर यह दुःखद टिप्पणी है, जो इस अवधारणा को दोहराता है कि ये संस्थाएं पतन की ओर अग्रसर हैं।

अब मैं यह स्मरण करना चाहता हूँ कि सभा से क्या-क्या किया जाना अपेक्षित था और जो अंत में नहीं किया जा सका। आपको इस वित्तीय वर्ष के महत्वपूर्ण सामान्य बजट पर चर्चा करनी थी और विनियोग विधेयकों तथा वित्त विधेयक पर विचार करके उन्हें लोक सभा को भेजना था। ऐसा नहीं हुआ। अंत में, इस महत्वपूर्ण कार्य को निष्पादित किया माना गया। उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 2018 को और वह भी बिना किसी चर्चा के पारित करने के अतिरिक्त कोई विधान कार्य नहीं किया जा सका, जबकि कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर आपके द्वारा विचार किया जाना प्रतीक्षित था। उक्त कार्य भी तब संभव हो सका जब सभा में आम सहमति थी और विधेयक को पारित किया जा सका। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति अत्याचारों के निवारण संबंधी अधिनियम पर माननीय उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय के परिणामस्वरूप जनता में कतिपय अवधारणा बनी जिसके कारण देश के कई भागों में आंदोलन हुए और हिंसा भी हुई। हम उस पर भी चर्चा नहीं कर पाए। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रबंधन तथा निगरानी में साबित हुई कमियों तथा कुछ लोगों के भाग जाने के कारण पूरे देश में व्यापक चिंता की लहर दौड़ गई। परन्तु आपकी अलग-अलग प्राथमिकताएं थीं और हम उक्त विषयों पर चर्चा करने के लिए समय नहीं निकाल पाए। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के माननीय सदस्यों की उन राज्यों के कतिपय चिंताजनक विषयों को लेकर तीव्र भावनाएं थीं। इन पर भी चर्चा नहीं हुई। यह सूची बढ़ती रह सकती है। कई सदस्यों द्वारा सूचनाएं दी गई थीं, किन्तु संक्षिप्तता बनाए रखने के लिए मैं इन पर विस्तारपूर्वक नहीं बोलूंगा। सभी माननीय सदस्यगण और नेतागण इस बात से अवगत हैं कि मैंने सभा के विभिन्न वर्गों के बीच चिंता के सभी विषयों पर चर्चा को गृहीत किया था। यह मेरी समझ से बाहर है कि व्यापक जनहित के इन मुद्दों में से किसी को भी यह सभा विचारार्थ क्यों नहीं ले सकी। 45 घण्टों के कार्य की तुलना में इस सभा के अमूल्य समय के 124 से अधिक घण्टे का समय व्यवधान के कारण हमने गंवा दिया।

माननीय सदस्यो, ऐसे लम्बे सत्र के अंत में हम अपने देशवासियों को उनकी चिंताओं का समाधान करने तथा उनकी वास्तविक आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में हमारे योगदान के रूप में क्या दिखा सकते हैं। मुझे डर है कि हम कुछ भी नहीं दिखा सकते। इसके परिणामस्वरूप, हम सभी विफल रहे हैं। इसमें विपक्ष, सत्ता पक्ष, सरकार शामिल है। मैं इस दल या उस दल विशेष के बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ। हम सभी को, जो भी इस वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं, को इसे समझना होगा। जो कुछ हो रहा है, उस पर यह मेरी विनम्र समुक्ति है। मैं क्षुब्ध हूँ और दुःखी भी हूँ। आपमें से कुछ सदस्यों ने मुझे पत्र भी लिखे, आपमें से कुछ ने मुझे संदेश भी भेजे। अतः,

हमें इस दृष्टिकोण से इसे नहीं देखना चाहिए कि इसके लिए यह दल जिम्मेदार था या वह दल। इसमें सुधार करते हुए और भविष्य के लिए आत्मविश्लेषण करते हुए हम सभी को इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम इस हार की स्थिति में कैसे पहुँचे जबकि यह एक जीत की स्थिति हो सकती थी। यह जागरूक बनने और आगे के रास्ते पर ध्यान देने का समय है।

आपने जो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, उनमें इस सत्र के आरम्भ में दोनों सभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा तथा उसे स्वीकार करना और केन्द्रीय बजट, 2018-19 पर चर्चा करना शामिल है। आपने उक्त अवधि के दौरान देखा होगा कि इसमें विभिन्न पक्षों के सदस्यों द्वारा बहुत अच्छा योगदान किया गया। वह भी अभिलेख में दर्ज है। इस सत्र के 22 दिन के दूसरे भाग के दौरान सबसे महत्वपूर्ण और उत्तम कार्य, सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों को पिछले महीने की 28 तारीख को तीन घण्टे और 37 मिनट की अवधि के लिए दी गई विदाई थी। यह कार्य भी सुचारू रूप से नहीं हो सका क्योंकि विदाई उद्‌गार का जो कार्य पिछले दिन के लिए निर्धारित था, वह उस समय नहीं किया जा सका। किन्तु तत्पश्चात्, हमने वह कार्य किया और हमने कम से कम उन सदस्यों के प्रति सम्मान दर्शाया जो हमारे साथ काफी समय बिताने के बाद सभा से सेवानिवृत्त हो रहे थे। यह सभा सेवानिवृत्त हो रहे कई सदस्यों के प्रति मूलभूत शिष्टाचार का प्रदर्शन करने में और अधिक विनयशीलता और विचारशीलता का परिचय दे सकती थी। यहां तक कि विदाई के इस कार्य के लिए भी समझौता करना पड़ा।

माननीय सदस्यों, यह महती सभा राज्यों की परिषद है जो कि घटक राज्यों की चिंताओं पर विचार-विमर्श के लिए है। यही सभा के विचारार्थ कार्यसूची का प्राथमिक स्रोत है। परन्तु सभा के पास विधायी और चर्चा से जुड़े कार्य भी होते हैं और यही कार्य सभा की कार्यसूची को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण संचालक की भूमिका का भी निवर्हन करते हैं। सभा के चर्चा से जुड़े कार्यों में व्यापक जनहित के मुद्दे भी शामिल होते हैं। वरिष्ठों की इस सभा को इन सभी कार्यसूचियों का समावेश करने की जरूरत है ताकि एक राष्ट्रीय कार्यसूची और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य विकसित किया जा सके। हमारे पास इन सभी कार्यों पर चर्चा के लिए पूरा समय था, किन्तु हमने ऐसा नहीं किया। ऐसी सभी चिन्ताओं का समावेश करके उन पर बारी-बारी से चर्चा करने की बजाय हमने परस्पर विरोधी प्रयोजनों हेतु कार्य किया। यह मेरी व्यक्तिगत भावना है कि इस प्रक्रिया में हमने राष्ट्र, राज्यों को और जनता को निराश किया है।

सभा के विभिन्न वर्गों के बीच संप्रेषण के पूर्ण अभाव को देखकर मैं परेशान हूं, जिसकी वजह से लंबे समय तक गतिरोध बना रहा, और यह महत्वपूर्ण सत्र बरबाद हो गया। हम सभी के लिए यह एक सबक है कि हमें नियमित रूप से आपस में संपर्क करते रहना चाहिए, और सभा में आने से पहले हम सभी को विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। हमारे संसदीय लोकतंत्र के लिए यह अच्छी बात नहीं है, जिसके लिए हमारे देश ने गौरवमयी स्थान प्राप्त किया है। हमारे देश ने लंबे समय तक स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत रहने के बाद स्व-शासन का अधिकार प्राप्त किया था। संसदीय लोकतंत्र और स्व-शासन के साथ हमारे लगभग सात दशकों के साहसिक अनुभवों के बाद हमसे परिपक्वता की उम्मीद की जाती है। लेकिन हमारी विधायिकाओं का कार्यकरण कोई बहुत अधिक आश्वस्तकारी प्रतीत नहीं होता है। राज्य सभा को संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने और लोगों के इसमें आस्था और विश्वास को बनाए रखने की दिशा में अनुकरणीय उदाहरण पेश करना चाहिए।

इस संदर्भ में मुझे उन दिनों की याद आती है जब राज्य सभा की आवश्यकता और औचित्य के संबंध में संविधान सभा में तीव्र बहस हुई थी। द्विसदन को अपनाए जाने से पहले, राज्य सभा के पक्ष और विपक्ष में राय बंटी हुई थी और अंततः राज्य सभा की स्थापना 1952 में हुई थी। मुझे चिंता हो रही है कि इस सभा की आवश्यकता के संबंध में उस समय जो भय व्यक्त किए गए थे, अब चरितार्थ हो रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि ऐसा न हो। बड़ी संख्या में नए

सदस्यों, जिन्होंने पिछले दो दिनों के दौरान शपथ ली है, उनके लाभ के लिए मैं संक्षेप में यह दोहराना चाहता हूं कि उस दिन इस सभा में क्या हुआ था, यह केवल जानकारी के लिए है।

राज्य सभा की आवश्यकता के संबंध में संविधान सभा के वाद-विवादों के दौरान कुछ सदस्यों ने आशंका व्यक्त की थी कि यह 'प्रगति में बाधा' सिद्ध होगी, इस पर व्यय होगा और इसका कोई महत्त्वपूर्ण योगदान नहीं होगा। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु जो संविधान की प्रारूप समिति, जिसे हमारे देश के भावी विधानमंडल की संरचना और कार्यकरण के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्थापित किया गया था, के एक महत्त्वपूर्ण सदस्य थे और उन्होंने 1936 में यह आशंका व्यक्त की थी कि दूसरा सदन (राज्य सभा) निचले सदन की प्रगतिवादी प्रवृत्तियों को अवरुद्ध करेगा एवं प्रतिक्रियावादी होगा। क्या हम नेहरुजी की गहन आशंकाओं को सच सिद्ध करेंगे ? मुझे आशा है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारे संसदीय लोकतंत्र और लोगों की खातिर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक विस्तृत वाद-विवाद के उपरांत विचारों में संतुलन बनाते हुए अंततः दूसरा सदन बनाने के पक्ष में निर्णय लिया गया। नेहरु जी भी सहमत हो गए, इसके बाद अनंतस्वामी अय्यंगर और बहुत-से अन्य लोगों ने भी अपने विचार रखे। इस सदन के पक्षकारों के इस सदन के संबंध में कुछ उच्च-आदर्श थे। स्वर्गीय श्री अनंतस्वामी अय्यंगर ने जोर देकर कहा कि,"दूसरी सभा होना आवश्यक है जहां लोगों की प्रतिभा पूरी तरह प्रदर्शित होगी।

लोक सभा द्वारा जल्दबाजी में जो भी विधान पारित किया जाता है, उस पर राज्य सभा द्वारा स्थिर गति से सोच-विचार कर उसे संतुलित किया जा सकता है"। पूर्व सदस्य श्री अनन्तस्वामी अय्यंगर जी द्वारा यह राय व्यक्त की गई थी और साथ ही, "संघीय संविधान समिति के प्रतिवेदन" के संबंध में संविधान सभा में वाद-विवाद के दौरान एक अन्य पूर्व सदस्य स्वर्गीय श्री गोपाल स्वामी अय्यंगर ने कहा, "हमारी राज्य सभा से सर्वाधिक यह अपेक्षा रहती है कि वह महत्वपूर्ण मुद्दों पर गरिमापूर्ण वाद-विवाद करे और विधान, जोकि भावावेश का परिणाम हो सकता है, उसे तब तक रोककर रखे जबतक आवेश ठंडा न हो जाए।" हमसे यही अपेक्षा की जाती है। चूंकि उस सभा को सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है, उनपर स्थानीय निर्वाचन क्षेत्रों तथा लोगों का दवाब होता है, जबकि राज्य सभा में हमारे पास मुद्दों पर भाव प्रवणता और शांति से चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय होता है। यह राय व्यक्त की गई थी।

भारत के प्रथम उप-राष्ट्रपति और इस महती सभा के प्रथम सभापति, स्वर्गीय डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 13 मई, 1952 को कहा था कि इस सभा का औचित्य विधायी और विचारशील कार्यों के संबंध में सदस्यों के योगदान पर निर्भर करता है। अपने अभिनन्दन के पश्चात् सदस्यों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "अतः, हम सभी को यह परीक्षा देनी है। हम पहली बार संसदीय प्रणाली के अंतर्गत केन्द्र में राज्य सभा के साथ कार्य प्रारंभ कर रहे हैं और हमें इस देश की जनता को यह साबित करने के लिए कि जल्दबाजी में पारित किए गए विधान को रोकने के लिए राज्य सभा का होना अति आवश्यक है, अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए भरसक प्रयास करना चाहिए। हमारे समक्ष रखे गए प्रस्तावों पर हमें तटस्थता और निष्पक्षता से विचार करना चाहिए।" डा. राधाकृष्णन ने यही कहा था।

माननीय सदस्यों, क्या हम इस महती सभा की प्रबुद्धता को व्यक्त करने दे रहे हैं। आइये, हम इस बात पर विचार करें। मर्यादित तरीके से होने वाला वाद-विवाद अब क्यों नहीं होता है जैसे पहले हुआ करता था? क्या हम इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं जिससे किसी विधान पर हावी होने वाला राजनीतिक आवेग थम सके? क्या हम उदासीनता और अनासक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं?

इस महती सभा की परिकल्पना इसलिए की गई थी कि लोक सभा द्वारा किसी भी विधान में जल्दबाजी करने की बजाय विधेयकों पर तर्कसंगत और पूर्ण रूप से विचार किया जा सके। इस सम्बन्ध में मैं कुछ दृष्टांत दे

सकता हूँ। हम में से कुछ लोगों की राय है कि लोक सभा द्वारा किसी विधेयक को पारित किये जाने के बाद भी, स्थायी समिति द्वारा इसे अनुमोदित किये जाने के बाद भी कभी-कभी हम विधेयक को प्रवर समिति को वापस भेज देते हैं। प्रवर समिति में शामिल हमारे सदस्य इस विधेयक पर विचार करते हैं और अपनी बुद्धिमत्ता से सिफारिश करते हैं और इसके बाद विधेयक वापस हमारे पास आता है। यही प्रणाली की खूबी है। इस खूबी के साथ हमारा एक कर्त्तव्य भी बनता है। खूबी और कर्त्तव्य मिलकर हम अपनी प्रणाली को मजबूत बना सकते हैं। यही मेरी आप सभी से अपील है। आपको इसके बजाय पंडित जवाहरलाल नेहरु द्वारा व्यक्त किये गए भय को दूर करना चाहिए जिन्होंने इस सभा की उपयोगिता को लेकर अपनी आपत्तियों के बावजूद भी इसका समर्थन किया। अंत में नेहरु जी ने भी इसका समर्थन करते हुए यह कहा कि इस सभा का अस्तित्व में आना देश के हित में होगा। आप सभी को उन लोगों, जिन्होंने संविधान सभा में इस सभा की आवश्यकता को पुरजोर रूप से न्यायोचित ठहराया की आशाओं पर खरा उतरने की जरुरत है । अपने देश के विधायी ढाँचे के सृजन के पीछे मुख्य मकसद जन प्रतिनिधियों के लिए लोकतांत्रिक मंच प्रदान करना और देश की राजनीतिक तथा सामाजिक एकता को बहाल करना था।

यह माननीय सदस्यों के हाथ में है कि वे उन उत्कृष्ट आदर्शों के साथ न्याय करें जिनके लिये यह सदन सृजित किया गया था या उन लोगों के भय को सुदृढ़ बनाएं जिन्हें इसकी उपयोगिता के बारे में आशंका थी। मेरे विचार में सर्वोत्तम यही होगा कि वाद-विवाद हो और निर्णय पर पहुंचा जाए बजाए इसके कि व्यवधान हो और कार्यवाही बाधित हो। सदन में अपनी बुद्धिमत्ता और चिंताओं का प्रदर्शन करें न कि पोस्टरों व अन्य वस्तुओं का।

यदि सरकार की गलती है या यदि किसी को यह प्रतीत होता है कि किसी अन्य व्यक्ति की गलती है तो सर्वोत्तम अवसर यह है कि उस मुद्दे को सदन में उठाया जाए और उस गलती या कमी के लिए संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई की जाए।

प्रत्येक व्यक्ति और संस्था को समय-समय पर गंभीर रूप से आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है अन्यथा विकृति उत्पन्न होगी और इसका स्तर गिरेगा। संसदीय संस्थाओं में बड़े पैमाने पर हमारे हित जुड़े हुए हैं। हम इसे सफल बनाए। मैं विनम्र आशा करता हूं जिस तरह से इस महत्वपूर्ण सत्र की परिणति हुई है, उसके लिए सभी माननीय सदस्य मेरी पीड़ा को समझेंगे। यह आशा ही है जो हमें शक्ति प्रदान करते रहती है और हमें आशा है कि हम अगली बार बेहतर रूप में मिलेंगे।

एक बार फिर मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पोस्टर, बैनर या पार्टी के झंडे दिखाने या नारे लगाने से न केवल सदन के अंदर बल्कि सदन के बाहर भी पूर्ण रूप से बचा जाना चाहिए। केवल परिसर के बाहर ही ऐसा किया जा सकता है।

मैं समझता हूं कि जब कुछ पहले से ही हो रहा हो तो अचानक कठोर कार्रवाई करना ठीक नहीं होगा। सभापति कार्रवाई कर सकते हैं परंतु क्या वह कार्रवाई अंतिम समाधान है?

हम सभी को इस बारे में सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझमें कार्रवाई करने का साहस या निश्चय नहीं है। आप सभी मेरे साथी सदस्य हैं। लोगों ने आपको चुना है। आप सभी मेरे या मंत्रियों की भांति ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे आपसे एक और अपील करनी चाहिए ताकि भविष्य में हम, स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ली गई शपथ और सहयोग के रूप में अपने वायदे पर अटल रह सकें।

माननीय सदस्यगण, मैं एक बार फिर उपसभापति, उपसभाध्यक्षों के पैनल के सदस्यों, महासचिव, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं और सभा के नेता का उनके सहयोग के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि सभा के नेता स्वस्थ नहीं हैं। इसमें कुछ समय लगेगा किन्तु घबराने की बात नहीं है। वह ठीक हो जाएंगे और वह सदन में फिर से आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वे सभा के नेता हैं और महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक हैं। मैं निश्चित तौर पर संपूर्ण सदन की शुभकामनाएं उन तक पहुंचा दूंगा।

किसी चीज़ के प्रत्युत्तर में हर किसी को कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यह बात हम सभी के लिए है। आप में बहुत से सदस्य, जिन्होंने मेरे साथ 20-30 साल सार्वजनिक जीवन में व्यतीत किए हैं, उनके साथ मैं अनौपचारिक रहा हूं और कई बार इस कारण मैं उनके नाम भी ले लेता हूं। इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी कोई गलती है। यह हम सभी के लिए है। इस तरह सभापति के रूप में वह मेरा परम कर्तव्य है। मैं सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों का मुझे सहयोग देने के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। अब हम वन्दे मातरम के लिए खड़े होंगे।